संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक 4 / शिका / सेल.3 / अभि.स्वी. / छिंदवाड़ा / 2018 / 1740 भोपाल, दिनांक 28/9/18

:: आदेश ::

कार्यालय कलेक्टर / जिला दण्डाधिकारी छिंदवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 5836 / सा. लि / डी.एम.छिं / 2018, छिंदवाड़ा दिनांक 02.06.2018 के माध्यम से थाना बिछुआ जिला छिंदवाड़ा के अपराध क्रमांक 243 / 2012 धारा 187,384 भादवि धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अंतर्गत श्री बहादुर सिंह गुजराल पिता मानसिहं गुजराल, लेखापाल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिछुआ जिला छिंदवाड़ा के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में प्रकरण संचालनालय में प्राप्त हुआ। उक्त प्रकरण में पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा पत्र कम्राक पु. अ / छिंद / रीडर / डीएम / अभि.स्वी. / 57 / 2018 दिनांक 26.5.2018 के साथ जिला अभियोजन अधिकारी छिंदवाड़ा का प्रतिवेदन क्रमांक डीपीओ / अभि / 80 / 2018, दिनांक 23.5.2018 एंव केस डायरी की सत्यापति प्रति प्राप्त हुई।

पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा द्वारा प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिछुआ जिला छिंदवाड़ा में पदस्थ कर्मचारीगण की ओर से दिनांक 05.12.2012 को श्री रविकुमार पिता चन्द्रकुमार सक्सेना, सेक्टर सुपरवाईजर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिछुआ द्वारा श्री बहादुर सिंह गुजराल, लेखापाल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिछुआ जिला छिंदवाड़ा में पदस्थ के विरूद्ध थाना कोतवाली में गंभीर अनियमितता बरतने, कार्य के बदले 20 प्रतिशत राशि की मांग करने विषयक प्रकरण में शिकायकर्ता की रिपोर्ट पर थाना बिछुआ जिला छिंदवाड़ा में अपराध क्रमांक 243 / 12 धारा 187,384 भादवि धारा 07 भ्रष्टाचार निवारण अधिकार अंतर्गत प्रकरण कायम कर अग्रिम विवेचना तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सौंसर द्वारा की गई। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से आरोपी को दिनांक 25.12.2012 को गिरफ्तार किया गया एंव चालानी कार्यवाही तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी पुलिस चौरई द्वारा की गई। प्रकरण में विधि अनुसार अभियोजन स्वीकृति हेतु पत्राचार कर अभियोग प्रत्र क्रमांक 245 / 2012 दिनांक 31.12.2012 को तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया जो सत्र क्रमांक 2 / 16 माननीय एडीजे न्यायालय प्रथम छिंदवाड़ा में विचाराधीन है तथा आरोपी के विरूद्ध माननीय न्यायालय में अभियोग प्रस्तुत करने के संबंध में अभियोजन की स्वीकृति धारा 19 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतगर्त चाही गई।

2......

उपरोक्त प्रकरण में पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा से प्राप्त प्रतिवेदन, कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी छिंदवाड़ा द्वारा की गई अनुशंसा, जिला अभियोजन अधिकारी छिंदवाड़ा के द्वारा दिये गये अभिमत एंव केस डायरी/अभिलेखों का समग्र रूप से परीक्षण किया गया। अतः परीक्षणोपरांत एतद् आदेश द्वारा श्री बहादुर सिंह गुजराल, लेखापाल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिछुआ जिला छिंदवाड़ा के विरूद्ध धारा 19 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अंतर्गत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित.

28/9/18

(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृ0कमांक 4/शिका/सेल.3/अभि.स्वी./छिंदवाड़ा/2018/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः—सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी छिंदवाड़ा की ओर ज्ञाप कमांक 5836/सा.लि/डीएमछि/2018/दिनांक 02.06.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित। केस डायरी एंव अभिलेखों की छायाप्रति पृष्ठ 01से 37 संलग्न प्रेषित है। कृपया पावती उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. पुलिस अधीक्षक,छिंदवाड़ा म.प्र.की ओर पत्र कमांक 1497/2018, छिंदवाडा, दिनांक 19.8.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित। केस डायरी एंव अभिलेखों की छाया प्रति पृष्ठ01से 37 संलग्न प्रेषित है।
4. कार्यालय जिला अभियोजन अधिकारी छिंदवाड़ा म.प्र.।
5. क्षैत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें जबलपुर संभाग जबलपुर म.प्र.।
6. संयुक्त संचालक अविज्ञप्त शाखा स्थानीय कार्यालय।
7. मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी छिंदवाड़ा म.प्र.।
8. कार्यालय थाना प्रभारी बिछुआ जिला छिंदवाड़ा म.प्र.।
9. श्री बहादुर सिंह, लेखापाल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिछुआ जिला छिंदवाड़ा द्वारा मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी छिंदवाड़ा।
10. प्रभारी एम.आई.एस.सेल स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जारी आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
11. आदेश नस्ती।

अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश